



का.रा.बी.नि.  
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters

पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002  
Panchdweep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002  
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in  
Website : www.esic.nic.in

स. एन-16/1/Odisha/2016-योववि

दिनांक:24.08.2022

**परिपत्र**  
**Circular**

**विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के कलाहांडी जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी।**

**Sub: Implementation of ESI Act in the entire area of Kalahandi district in the State of Odisha.**


उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड-(II) में दिनांक 23.08.2022 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 3983(अ) दिनांक 23 अगस्त, 2022 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-23082022-238311)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के कलाहांडी जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.09.2022 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 3983(E) dated 23<sup>th</sup> August, 2022 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (II) on 23.08.2022 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-23082022-238311)

Implementation of ESI Act,1948 under Section 1(3) in the entire area of Kalahandi district in the State of Odisha shall be effective from 01.09.2022.

संलग्न - यथोपरि

  
24.08.2022

(अखिलेश कुमार)

सहायक निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, ओडिशा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238311  
CG-DL-E-23082022-238311

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3809]  
No. 3809]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

**का.आ. 3983(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितम्बर, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 38 से धारा 43 तक, धारा 45क से धारा 45ज तक, धारा 46 से धारा 73 तक, धारा 74 से धारा 75 तक, धारा 76 की उप-धारा (2) से उप-धारा (4) तक, धारा 82 और धारा 83 के उपबंध ओडिशा राज्य के कलाहांडी जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/06/2022-एसएस-1]  
आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2022

**S.O. 3983(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2022, as the date on which the provisions of sections 38 to 43, sections 45A to 45H, sections 46 to 73, sections 74 to 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, sections 82 and 83 of the said Act shall come into force in all the areas of Kalahandi district in the State of Odisha.

[F. No. S-38013/06/2022-SS-I]  
ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser

5699 GI/2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR  
VERMA

Digitized by SRI JAYATI BHARGAVA  
JAYATI  
Date: 2022.08.23 15:47:40:50